संख्या-28/2021/110/41-2021-79 (सा0)/2020

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 15 जनवरी, 2021**

विषय:-जनपद-प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम में निषादराज पार्क के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-4479/ निषादराज पार्क/2020 दिनांक 15 दिसम्बर, 2020 एवं पत्र संख्या-4845/श्रृंगवेरपुर-निषादराज पार्क/2020 दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद-प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम में निषादराज पार्क के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. अवगत कराना है कि जनपद-प्रयागराज में स्थित श्रृंगवेरपुर-धाम जिला मुख्यालय से लगभग 45 कि0मी0 दूर प्रयागराज-लखनऊ मार्ग पर सोरांव ब्लाक में पवित्र गंगा नदी के बाऐं तट पर अवस्थित है। श्रृंगवेरपुर-धाम एक पौराणिक एवं दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर भगवान श्रीराम को उनके वन-गमन के समय निषादराज ने अपने नाव से गंगा नदी पार करवाया था। प्रभु श्रीराम के द्वारा श्रृंगवेरपुर स्थित रामचौरा में रात्रि-विश्राम भी किया गया था। श्रृंगवेरपुर में प्रभु श्रीराम के पिता चक्रवर्ती राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ को सफलतापूर्वक पूर्ण कराने वाले महान श्रृंगी ऋषि का आश्रम/मन्दिर गंगा नदी के तट पर अवस्थित है, जिसके दर्शन हेतु काफी संख्या में श्रद्धालु प्रतिमाह आते रहते हैं।

3. श्रृंगवेरपुर में निषादराज पार्क के निर्माण से इस क्षेत्र का आर्थिक उन्नयन होगा तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस स्थल का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण होने से श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। उपरोक्त प्रायोजना हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश संख्या-282/2020/ 2477/41-2020-180 (बजट)/2019 दिनाँक 26-11-2020 के माध्यम से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू0 1449.04 लाख की योजना स्वीकृत की गई है। इस पौराणिक स्थल के पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण हो जाने से उ0प्र0 में भारत ही नहीं विदेशों से भी बहुतायत मात्रा में पर्यटक आयेंगे, जिसके दृष्टिगत श्रृंगवेरपुर-धाम में निषादराज पार्क के निर्माण एवं लोक उपयोगिता हेतु 06हे0 भूमि की आवश्यकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. उपरोक्त प्रायोजना के क्रियान्वयन हेतु पर्यटन विभाग द्वारा जिलाधिकारी, प्रयागराज से ग्राम-सिंगरौरपुर उपरहार, परगना-नवाबगंज के श्रृंगवेरपुर धाम में निषादराज पार्क के निर्माण हेतु 06हे0 भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था।

5. उपरोक्त के क्रम में जिलाधिकारी, प्रयागराज द्वारा अपने पत्र संख्या- 4251/डी.एल.आर.सी. दिनाँक 04-12-2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि किसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी अपवादात्मक प्रकरणों में ही ऐसे निबन्धन एवं शर्तों पर परिवर्तित की जा सकेगी, जो कि विहित की जाये। लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी परिवर्तित करने का कारण अभिलिखित किया जायेगाः-

क) राज्य सरकार, भूमि की श्रेणी परिवर्तित करते समय या संहिता की धारा-101 के अन्तर्गत उसके विनिमय की अनुज्ञा देते समय आरक्षित किये जाने के लिए या विनिमय किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि की स्थिति, लोक उपयोगिता और उपयुक्तता पर विचार करेगी।

ख) इस धारा की उपधारा(2) के अन्तर्गत भूमि की श्रेणी परिवर्तित की जाती है तो कलेक्टर अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन का आदेश देगा।

शासनादेश संख्या-689/एक-1-202-20(5)/2016राजस्व अनुभाग-1 दिनाँक 06-07-2020 के अनुसार राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या- 687 दिनाँक 06-07-2020 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुर्नग्रहण, धारा- 77 की उपधारा (2) के अधीन लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियाँ और धारा-101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियाँ उन दशाओं में राज्य सरकार के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, सम्बन्धित जनपदों के कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है। इस प्रकार राज्य सरकार के सेवारत विभाग हेतु ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों के श्रेणी परिवर्तन, पुर्नग्रहण एवं विनिमय कर उपलब्ध कराने की कार्यवाही सम्बन्धित कलेक्टर द्वारा की जायेगी।

निषादराज पार्क निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है। पर्यटन विभाग राज्य सरकार के सेवारत विभागों में शामिल नहीं है। जिलाधिकारी, प्रयागराज द्वारा अपने पत्र संख्या-4251 दिनाँक 04-12-2020 के माध्यम से अपर मुख्य सचिव, राजस्व, उ0प्र0 शासन से उपरोक्त भूमि निःशुल्क पुर्नग्रहण कर निषादराज पार्क के निर्माण हेतु पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को भूमि उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

6. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम में निषादराज पार्क के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रि-परिषद् द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये है:-

क- प्रश्नगत प्रायोजना हेतु आवश्यक भूमि एक स्थान पर एक दूसरे से लगी हुई होनी चाहिए और इस दृष्टि से ग्राम-सिंगरौर उपरहार, तहसील सोरांव का गाटा संख्या-1935 एवं 1961 निषादराज पार्क के निर्माण हेतु उपयुक्त पाया गया है। अतः इस कारण श्रृंगवेरपुर धाम के मौजा-सिंगरौर उपरहार की नवीन परती व बंजर के कुल 17 गाटे (अनुलग्नक-ग) रकबा 4.2735हे0 का विनिमय पशुचर के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

दो गाटे (1935 एवं 1961) रकबा 5.6621हे0 से पशुचर के उक्त गाटों के एक साथ एक दूसरे से लगे होने के कारण विनिमय हेतु जिलाधिकारी, प्रयागराज द्वारा प्रस्तावित किया गया है। विनिमय के पश्चात गाटा संख्या-1935 रकबा 3.9031हे0 एवं गाटा संख्या-1961 रकबा 1.7590हे0 का निःशुल्क पुनर्गहण कर पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन को निषादराज पार्क परियोजना हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

ख- परियोजना के सम्बन्ध में अग्रतर निर्णय लिये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

7. प्रश्नगत प्रायोजना के क्रियान्वयन में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा:-

"जिलाधिकारी, प्रयागराज द्वारा उनके पत्र संख्या-4349 दिनाँक 26-12-2020 में उल्लिखित प्रश्नगत परियोजना के लिए आवश्यक भूमि की व्यवस्था के रूप में आरक्षित श्रेणी (पशुचर) की भूमि, जिसका रकबा 5.6621 हे0 है, के सापेक्ष राजस्व विभाग के निर्देशानुसार परती भूमि 3.2720 हे0 एवं बंजर भूमि 2.3901 हे0, अर्थात कुल भूमि 5.6621 हे0, अर्थात आरक्षित श्रेणी के समतुल्य भूमि का विनिमय किया जायेगा।"

अतः कृपया तदनुसार प्रकरण में उपर्युक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-अनुलग्नक-ग

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या-28/2021/110(1)/41-2021-79 (सा0)/2020 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मा0 मंत्री जी, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 लखनऊ।
4- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
5- **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव**
वित्त विभाग/न्याय विभाग/राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- आयुक्त प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
7- जिलाधिकारी, प्रयागराज।
8- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
9- उप निदेशक, प्रयागराज।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-28/2021/110/41-2021-79 (सा0)/2020 दिनांक 15 जनवरी, 2021

अनुलग्नक-ग

विनिमय चार्ट

ग्राम सिगरौर उपरहार परगना नवाबगंज ब्लाक श्रंग्वेरपुर तहसील सोराव जनपद प्रयागराज।

जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट उपनिबंधक सोरांव प्रयागराज द्वारा अगणित

पश्चुर भूमि					प्रस्तावित नवीन परती व बंजर भूमि			
क्र	गाटा सं0	रकबा	श्रेणी	मूल्याकन	गाटा सं0	रकबा	श्रेणी	मूल्याकन
1	1961	1.7590	5-3-ग	9234750.00	601	0.1255	5-1	2050650.00
2	1935	3.9031	5-3-ग	20491275.00	1281ग	0.6913	5-1	2903460.00
3					1023मि0	0.2900	5-1	1218000.00
4					679	0.6162	5-1	2588040.00
5					1672	0.0772	5-1	1602720.00
6					2467मि0	0.4501	5-1	1890420.00
7					1722	0.2054	5-3-ड.	862680.00
8					1723	0.0342	5-3-ड.	861840.00
9					1752	0.0783	5-3-ड.	1616580.00
10					1919	0.2800	5-3-ड.	1176000.00
11					1925	0.1826	5-3-ड.	2410380.00
12					1932क	0.4428	5-3-ड.	1859760.00
13					1399	0.1980	5-3-ड.	2507400.00
14					1439	0.1283	5-3-ड.	2895606.00
15					2015	0.1356	5-3-ड.	2114280.00
16					2387	0.2380	5-3-ड.	1374450.00
17					1917मि0	0.1000	5-3-ड.	1890000.00
	TOTAL	5.6621		29726025		4.2735		31822266

लेखपाल
सोरांव प्रयागराज

राजस्व निरीक्षक
सोरांव प्रयागराज

ना0 तहसीलदार
सोरांव प्रयागराज

तहसीलदार
सोरांव प्रयागराज

उपजिलाधिकारी
सोरांव प्रयागराज
1/1/20

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।